न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 83 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. रामजीराम पुत्र मोटाराम 2. जेसाराम पुत्र मोटाराम 3. हिमताराम पुत्र मोटाराम 4. श्रीमती बगतूदेवी पत्नी मोटाराम जाति जाट निवासी नागोणा (कानासर) तहसील शिव जिला बाड़मेर (राज.)	1. जवाराराम पुत्र सूराराम 2. नगाराम पुत्र सूराराम 3. उगाराराम पुत्र सूराराम 4. मानाराम पुत्र सूराराम 5. नगाराम पुत्र लिखमाराम 6. टीकमाराम पुत्र लिखमाराम 7. तुलछाराम पुत्र लिखमाराम 8. श्रीमती सामादेवी पत्नी लिखमाराम 9. पूराराम पुत्र कुंभाराम 10. लिछमणाराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी नागोणा (कानासर) तहसील शिव जिला बाड़मेर 11. पंजाब नेशनल बैंक, जरिये मैनेजर शाखा ग्राम उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर 12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 13/2017 बउनवान जवाराराम वगैरह बनाम रामजीराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सोहनलाल चौधरी रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—07.04.2025

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नागोणा के खेत खसरा संख्या 8, 90, 97, 98 व 293/08 कुल रकबा 291.10 बीघा भूमि में उत्तरदातागण संख्या 01 से 04 ने अपना नाम अपीलांटगण के साथ सहखातेदारी में घोषित किया जावे। उपरोक्त खसरों की भूमि का अपीलांटगण के पूर्वज जगाराम पुत्र लालाराम के नाम से पर्चा लगान सन 1954—1955 में जारी होकर खतौनी बंदोबस्त संवत 2014 से संवत 2031 में बतौर खातेदार दर्ज हुआ है जिसको उपरोक्त वाद में करीबन 62 वर्षों के पश्चात चुनौति दी गई है। उक्त वाद के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया गया जिस पर अपीलांटगण व उत्तरदातागण संख्या 01 से 04 को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को पाबंद करते हुए एक दूसरे के कब्जे

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने व मौका की यथास्थिति रखने के आदेश जारी किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर हस्तगत अपील श्रीमानजी के समक्ष पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जान संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल वाद पत्र व आवेदन में मौखिक कथनों के आधार पर अपीलांटगण रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी में पर्चा लगान, खतौनी बंदोबस्त व वर्तमान जमाबंदी में बतौर रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। अपीलांटगण राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं और मौके पर अपीलांटगण का करीबन 62 वर्षों से अधिक समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे। वकील अपीलांटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–RRT 2016(2) Page 1323, RRT 2021(1) Page 535, RLW 2006(1) Page 332

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के वालिद लालाराम की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम कानासर में आई हुई थी। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के वालिद लालाराम का हिस्सा 1/3 आया हुआ था तथा शेष हिस्सा 2/3 लिखमाराम, कुम्भाराम पिता जोधाराम की खातेदारी में आया हुआ था, किन्तु वक्त

(नवल किशोर कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बंदोबस्त वादीगण के वालिद सुराराम नाबालिग व छोटे होने के कारण एवं कर्ता खानदान जगाराम होने के कारण राजस्व रेकर्ड में स्व. लालाराम के हिस्से की भूमि में केवल मात्र जगाराम के ही नाम का अंकन हो गया। जबकि मौके पर जगाराम व सुराराम के परिवार 1/3 हिस्से की भूमि पर बहिस्सा बराबर–बराबर पर काबिज होकर काश्त करते थे। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण की पुरानी ढाणियां व पानी के टांके व मवैशी के बाड़े बने हुए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भू प्रबन्ध के प्रभाव में आने से पूर्व प्रभाव में आने के दिन व उसके पश्चात लगातार आज दिन तक वादीगण वादग्रस्त मौजूदा आराजी के हिस्सा 1/3 पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के साथ बहिस्सा बराबर पर काबिज है। माननीय न्यायालय द्वारा हम उत्तरदातागण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना स्थगन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन की आड़ में उत्तरदातागण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के मध्य विवाद का निस्तारण मूल वाद के निर्णीत होने पर ही संभव है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आराजी में उभयपक्षकारान के हक हिस्सों का निर्धारण मूल दावे में साक्ष्य सबूतों से तय होना हैं। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मूल वाद के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी का संरक्षण करना न्यायालय का कर्तव्य है। अपीलाधीन आराजी का संरक्षण नहीं किया जाता है तो व्यर्थ ही मुकदमेबाजी में वृद्धि होगी। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील में चाहा गया अनुतोष तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित अपीलाधीन आदेश समान है। अपीलांटस की अपील के अनुतोष एवं अपीलाधीन आदेश की मूल भावना समान है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु रेस्पोडेंटस के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अधीनस्थ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए पारित किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 13/2017 बउनवान जवाराराम वगैरह बनाम रामजीराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर